न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल** (आर०ए०एस०)

वाद सं0 : 140 सन 2019

अनवान :—

1. बृजलाल पुत्र रावताराम जाति जाट साकिन टोपरिया तहसील नोहर (हनुमानगढ)

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।
2. अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड सिचाई विभाग नोहर तहसील नोहर

असल प्रतिवादीगण

3. गोकुलराम पुत्र रावताराम जाति जाट साकिन टोपरिया तहसील नोहर।

तरतीबी प्रतिवादी

4. सुन्दरदेवी पत्नी रणजीत सिह जाति जाट साकिन वार्ड न0 8 अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर जरिये मुख्त्यारआम रमेश कुमार पुत्र रायसिह जाति जाट निवासी वार्ड न0 8 अनुपगढ जिला श्रीगंगानगर
5. कलावती पत्नी श्योराम जाति जाट निवासी भगवान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ जरिये मुख्त्यारआम रमेश कुमार पुत्र रायसिह जाति जाट निवासी वार्ड न0 8 अनुपगढ जिला श्रीगंगानगर

असल प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरार हक स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत 88 ,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित : श्री हवासिह पुनिया जोशी अधिवक्ता वादी
श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता वादी
श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता प्रतिवादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :— 12/05/2025

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा टोपरिया बारानी के प0न0 253/403(79) के किला न0 21/1 की 0.2270 ,22/.2530 ,23/0.1140, प0न0 252/403 (80) किला न0 23 ता 25/0.7590 ,प0न0 252/404(101) के किला न0 3 ता 7/1.2650हैक , 8/2 की 0.2400 ,9/2 की 2020 ,10/3 की 0.1390 ,11/1 की 0.2280 ,12/2 की 1.640 ,13/2 की 0.1390 ,14/2 की 0.1270 , 15/2 की 0.1390 ,16/2 की 0.2400 ,17 ता 25 की 2.2770हैक प0न0 253/404 (102) के किला न0 1/1 की 0.2280 ,2/0.2530 ,3/0.0250 ,8/0.0130 ,9/0.2400 ,10/2की 2270 ,11/3 की 0.1770 ,12/2 की 0.1640 ,19/2 की 0.0380 ,20/2 की 0.1900 ,21/0.2530 ,22/0.0130 ,प0न0 253/405(103) किला न0 1/0.1260 ,10/.0.0130 , प0न0 252/405(104) किला न0 1 ता 5 की 1.2650हैक कुल 9.7380हैक भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 3 बहिब के खातेदार काश्तकार है।

रोही मौजा टोपरिया बारानी के प0न0 253/403(79) किला न0 21/1 की 0.0260 , प0न0 253/404 (102) किला न0 1/1 की 0.0260 ,10/1 की 0.0250 ,11/0.0120कुल 0.0890हैक गैर मुमकिन रास्ता भूमि के वादी एव प्रतिवादी बहिब काबिज खातेदार काश्तकार है वादी व प्रतिवादी संख्या 3 अपने हक हिस्सा की भूमि को काश्त करते आ रहे है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 की [illegible] नोहर से रावतसर सडक गुजरती है एव प0न0 252/404 में उत्तर से दक्षि[illegible] गुजरता है उक्त दोनो रास्ता व सडक सदामत से चले आ रहे है [illegible] अलावा वादी एव प्रतिवादी संख्या 3 की भूमि में से कभी कोई [illegible] एवं प0न0 253/40[illegible] प0न0 253/404 में से पिछले 50—60 सालो से भी अधिक सम[illegible] से कभी भी रास्ता च[illegible] रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.05.13 19:25:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनु0)

राज्य सरकार के नियमानुसार सिचित क्षेत्र में एक मुरब्बा लाईन के अन्तराल से रास्ता गुजरते है लगातार मुरब्बों में बिना किसी अन्तराल के रास्ता स्वीकृत नही होता है प0न0 252/404 में राजस्व रिकार्ड में रास्ता स्वीकृत व चालू होते हुए अवैध तौर से प0न0 253/404 व 253/404 में राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्शा दिया गया जबकी कभी भी रास्ता उपयोग में नही रहा व ना ही आवागमन हुआ है यह सहवन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुआ है जो निरस्त कर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 के खाते में दर्ज बतोर खातेदार काश्तकार दर्ज करने योग्य है।

रोही मौजा टोपरिया बारानी के प0न0 253/403 (79) किला न0 21/1 की 0.0260हैक्ट प0न0 253/404 (102) किला न0 1/1 की 0.0260 ,10/1 की 0.0250 ,11/1 की 0.0120कुल 0.0890हैक्ट गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है जबकि उक्त रास्ता कभी भी आवागमन नही रहा है ना ही रास्ता की आवश्यकता है अन्य सभी काश्तकारों के अपने अपने खेत में आने जाने के रास्ते है काबिल काश्त भूमि है जो हमेशा से काश्त होती आई है लेकिन राजस्व रिकार्ड में सहवन से गेर मुमकिन रास्ता दर्ज है जिससे वादी एव प्रतिवादी संख्या 3 के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है इसलिये वादी अपने हकों की घोषणा करवाकर उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित करवाकर वादी एव प्रतिवादी संख्या 3 बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

रोही मौजा टोपरिया बारानी के प0न0 253/403 (79) किला न0 21/1 की 0.0260हैक्ट प0न0 253/404 (102) किला न0 1/1 की 0.0260 ,10/1 की 0.0250 ,11/1 की 0.0120कुल 0.0890हैक्ट भूमि राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज होने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 के खिलाफ तावान , नाजायज काश्त व बेदखली की कार्यवाही कर रहा है यदि प्रतिवादी संख्या 1 अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो वादी एव प्रतिवादी संख्या 3 को ना पूरा होने वाला नुकसान होता है इसलिये वादी प्रतिवादी संख्या 1 को पाबन्द करवा पाने का अधिकारी है।

वादी का वाद डिक्री किया जाकर रोही मौजा टोपरिया बारानी के प0न0 253/403 (79) किला न0 21/1 की 0.0260हैक्ट प0न0 253/404 (102) किला न0 1/1 की 0.0260 ,10/1 की 0.0250 ,11/1 की 0.0120कुल 0.0890हैक्ट भूमि राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 को बहिब का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवा कर जमाबन्दी संशोधन करने के आदेश फरमावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया वादी ने प्रतिवादी संख्या 2 के विरूद्व कोई रिलिफ नही होने के कारण वादी से हटवाया गया तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई तथा प्रतिवादी संख्या 4 ,5 जो वाद में प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सीपीसी का प्रार्थना पत्र स्वीकार होने पर पक्षकार बनाये गये थे ने वादी के वाद में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जबाब पेश किया की

रोही मौजा टोपरिया बारानी के प0न0 253/403 (79) किला न0 21/1 की 0.0260हैक्ट प0न0 253/404 (102) किला न0 1/1 की 0.0260 ,10/1 की 0.0250 ,11/1 की 0.0120कुल 0.0890हैक्ट भूमि जो राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 रास्ता के रूप में दर्ज है के वादी व प्रतिवादी संख्या 3 किसी भी प्रकार से खातेदार काश्तकार नही है उक्त रास्ता के उपयोग उपभोग की भूमि है उक्त रास्ता सदामत से चला आ रहा है एवं उपरोक्त रास्ता 50–60 वर्षो से अधिक समय से चला आ रहा है उक्त रास्ता राजस्व विभाग के द्वारा तकनीकी प्रक्रिया से मंजुर करके राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया है जिसका सदैव से काश्तकार उपयोग करते आ रहे है उक्त रास्ता के अलावा उतरादाता के पास अन्य कोई रास्ता अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिए नहीं है वादी ने अवैध तौर से अतिक्रमण किया जाकर रास्ता बन्द करने की कोशिश की जिस पर तहसीलदार नोहर के आदेशो की पालना में रास्ता खुलवाया गया था वादी किसी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी करवाने का अधिकारी नही है

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.05.13 19:25:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनु0)

रोही मौजा टोपरिया बारानी के प0न0 253/403 (79) किला न0 21/1 की 0.0260हैक्ट प0न0 253/404 (102) किला न0 1/1 की 0.0260 ,10/1 की 0.0250 ,11/1 की 0.0120कुल 0.0890हैक्ट भूमि में रास्ता दर्ज है उपरोक्त रास्ता सदामत से चालू है जो पिछले 50–60 सालो से चालू है उतरदातागण संख्या 4 ,5 ने अपनी कृषि भूमि को शेक्षणिक प्रयोजनार्थ संपरिर्वतन करवाकर विधालय का निर्माण करवाया गया है तथा विधालय आने जाने के लिये रास्ता का उपयोग उक्त रास्ता का ही किया जा रहा है एवं आस पास के काश्तकारों द्वारा अपनी भूमि में आने जाने हेतु अन्य कोई रास्ता नही है उक्त रास्ता बन्द किये जाने पर विधालय में आने जाने एव अन्य काश्तकारों को आवागमन बन्द हो जावेगा।

माननीय सिविल न्यायालय मे विचाराधीन प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा जो कि दिनांक 04.01.2019 को खारिज किया जा चुका है वादी द्वारा उपरोक्त रास्ता पर झुठी विनाय मुखास्मत हासिल करने हेतु अतिचार किया गया है रास्ता पर किये गये अतिचार को हटवाया जा चुका है केवल रास्ता की भूमि को हडप करने के लिये वाद पेश किया गया है जिसे खारिज फरमाया जावे।

प्रतिवादी संख्या 4 ,5 का जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों से साक्ष्य लिये गये साक्ष्य में वादी स्वय बृजलाल ने शपथ पत्र पेश किया जिस पर जिरह प्रतिवादी करवाई गई इसीप्रकार साक्ष्य प्रतिवादी में प्रतिवादी सुन्दर देवी ने शपथ पत्र पेश किया जिस पर जिरह वादी करवाई गई उभयपक्षों से दस्तावेजात लिये जाकर वादी के वाद व प्रतिवादी संख्या 4 ,5 के जबाब दावा के आधार पर निम्नप्रकार से तनकीयात कायम की गई।

1. आया कि विवादित भूमि रोही मौजा टोपरिया बारानी के प0न0 253/403(79) किला न0 21/1की 0.026हैक्ट प0न0 253/404(102) किला न0 1/1 की 0.026 ,10/1 की 0.025 ,11/1 की 0.021 कुल 0.089कुल हैक्ट गै0मु0 रास्ता भूमि के वादी व प्रतिवादी संख्या 3 को बहिब का खातेदार काश्तकार धोषित करवाने का अधिकारी है।?
   वादी
2. आया कि उक्त प0न0 253/403(79) तथा प0न0न 253/404(102) में कभी भी रास्ता से आवागमन नही रहा था किला न0 21/1 मु0न0 79 तथा मु0न0 102 किला न0 1/1 ,10/1 ,11/1 में दर्ज भूमि रास्ता दर्ज है लेकिन यह रास्ता किसी के काम नही आता तथा कभी भी चालू नही रहा है इसलिये इसे मुमकिन में किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 3 के नाम उनके खाते में बतौर खातेदार दर्ज करवा पाने के अधिकारी है । ? वादी
3. आया कि वादी प्रतिवादीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवा पाने का अधिकारी है मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाई रखी जावे ।? वादी
4. आया कि प0न0 253/403(79) किला न0 21/1की 0.026हैक्ट प0न0 253/404(102) किला न0 1/1 की 0.026 ,10/1 की 0.025 ,11/1 की 0.021 में रास्ता चालू है जो पिछले 50–60 सालों से चालू है जिससे आवागमन हो रहा है रास्ता खारिज करवाने का वादी को काई अधिकार नही है ।?
   प्रतिवादी
5. यह कि प्रतिवादीगण ने अपनी भूमि को शैक्षणिक प्रयोजनार्थ सपंरिर्वतन करवा रखा है इसी रास्ता से आवागमन करते है रास्ता चालू रखने के अधिकारी है।?
   प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.05.13 19:25:18 IST
Reason: SelfAttested

6. यह की उपखण्ड अधिकारी नोहर प्रकरण संख्या 47/2018 बृजलाल बनाम उपखण्ड नोहर खारिज हो चुका है रास्ता मौके पर खूलवाया हुआ है जिसका वाद पर क्या असर है। प्रतिवादी

उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनु0)

7. अन्य दादरसी ।

<u>तनकी कायम की जाकर उभपक्षों की बहस सुनी गई</u>

वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा टोपरिया बारानी की कुल 9.7380हैक्‍ भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 3 बहिब के खातेदार काश्तकार है।

रोही मौजा टोपरिया बारानी के प0न0 253/403(79) किला न0 21/1 की 0.0260, प0न0 253/404 (102) किला न0 1/1 की 0.0260 ,10/1 की 0.0250 ,11/0.0120कुल 0.0890हैक्‍ गैर मुमकिन रास्ता भूमि के वादी एव प्रतिवादी बहिब काबिज खातेदार काश्तकार है वादी व प्रतिवादी संख्या 3 अपने हक हिस्सा की भूमि को काश्त करते आ रहे है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 की उक्त भूमि में पूर्व से पश्चिम नोहर से रावतसर सडक गुजरती है एव प0न0 252/404 में उतर से दक्षिण रास्ता गुजरता है उक्त दोनो रास्ता व सडक सदामत से चले आ रहे है उक्त दोनो रास्ता व सडक के अलावा वादी एव प्रतिवादी संख्या 3 की भूमि में से कभी कोई रास्ता नही रहा है एवं प0न0 253/403 व प0न0 253/404 में से पिछले 50–60 सालो से भी अधिक समय से कभी भी रास्ता चालू नही रहा है।

राज्य सरकार के नियमानुसार सिचित क्षेत्र में एक मुरब्बा लाईन के अन्तराल से रास्ता गुजरते है लगातार मुरब्बों में बिना किसी अन्तराल के रास्ता स्वीकृत नही होता है प0न0 252/404 में राजस्व रिकार्ड में रास्ता स्वीकृत व चालू होते हुए अवैध तौर से प0न0 253/404 व 253/404 में राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्शा दिया गया जबकी कभी भी रास्ता उपयोग में नही रहा व ना ही आवागमन हुआ है यह सहवन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुआ है जो निरस्त कर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 के खाते में दर्ज बतोर खातेदार काश्तकार दर्ज करने योग्य है।

रोही मौजा टोपरिया बारानी के प0न0 253/403 (79) किला न0 21/1 की 0.0260हैक्‍ प0न0 253/404 (102) किला न0 1/1 की 0.0260 ,10/1 की 0.0250 ,11/1 की 0.0120कुल 0.0890हैक्‍ गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है जबकि उक्त रास्ता कभी भी आवागमन नही रहा है ना ही रास्ता की आवश्यकता है अन्य सभी काश्तकारों के अपने अपने खेत में आने जाने के रास्ते है काबिल काश्त भूमि है जो हमेशा से काश्त होती आई है लेकिन राजस्व रिकार्ड में सहवन से गेर मुमकिन रास्ता दर्ज है जिससे वादी एव प्रतिवादी संख्या 3 के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है इसलिये वादी अपने हकों की घोषणा करवाकर उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित करवाकर वादी एव प्रतिवादी संख्या 3 बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवा पाने के अधिकारी है

वर्तमान जमाबन्दी में उक्त रास्ता दर्ज होने के कारण प्रतिवादी संख्या 4 ,5 के निवेदन पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज रास्ता खुलवाया गया था किन्तु वर्तमान में उक्त रास्ता को कोई उपयोग नही हो रहा है प्रतिवादी संख्या 4 ,5 ने वादी के हकों को हनन करने के लिये उक्त रास्ता जिसका उपयोग पिछले 50 सालो से नही किया जा रहा था को खुलवाया गया है रास्ता राजस्व रिकार्ड मे दर्ज होने के कारण खुलवाया गया था तथा प्रतिवादी संख्या 4 ,5 के विधालय में आने जाने के लिये अन्य रास्ता उपलब्ध है यदि नही भी है तो भी संपरिर्वतन नियमों के अनुसार प्रतिवादी संख्या 4 ,5 अपनी भूमि को रास्ते के लिये सर्मपण कर विधालय के लिये रास्ता प्राप्त कर सकते है वादी की भूमि में किसी प्रकार का अवागमन करने के अधिकारी नही है तहसीलदार की मौका रिपोर्ट से भी पूर्णत्या साबित है कि उक्त रास्ता कभी भी चालू नही रहा है ना ही रास्ता की उपयोगिता है वादी की भूमि में सहवन से रास्ता दर्ज हुआ है किसी न्यायालय का कार्यालय के द्वारा स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही किया गया है केवल सिचाई विभाग के द्वारा रिकार्ड संधारण के समय उक्त रास्ता [illegible] हुआ है।

अतः वादी का वाद [illegible] रोही मौजा टोपरिया बारानी के प0न0 253/403 (79) किला न0 21/1 की 0.0260हैक्‍ प0न0 253/404 (102) किला न0 1/1 की 0.0260 ,10/1 की 0.0250 ,11/1 की 0.0120कुल 0.0890हैक्‍ भूमि राजस्व रिकार्ड में

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.05.13 19:25:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनु0)

गैर मुमकिन रास्ता दर्ज के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 को बहिब का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवा कर जमाबन्दी संशोधन करने के आदेश फरमावे।

प्रतिवादी संख्या 4 ,5 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब दावा में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की रोही मौजा टोपरिया बारानी के प0न0 253/403 (79) किला न0 21/1 की 0.0260हैक्ट प0न0 253/404 (102) किला न0 1/1 की 0.0260 ,10/1 की 0.0250 ,11/1 की 0.0120कुल 0.0890हैक्ट भूमि जो राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 रास्ता के रूप में दर्ज है के वादी व प्रतिवादी संख्या 3 किसी भी प्रकार से खातेदार काश्तकार नही है उक्त रास्ता के उपयोग उपभोग की भूमि है उक्त रास्ता सदामत से चला आ रहा है एवं उपरोक्त रास्ता 50–60 वर्षो से अधिक समय से चला आ रहा है उक्त रास्ता राजस्व विभाग के द्वारा तकनीकी प्रक्रिया से मंजुर करके राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया है जिसका सदैव से काश्तकार उपयोग करते आ रहे है उक्त रास्ता के अलावा उतरादाता के पास अन्य कोई रास्ता अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये नही है वादी ने अवैध तौर से अतिक्रमण किया जाकर रास्ता बन्द करने की कोशिश की जिस पर तहसीलदार नोहर के आदेशो की पालना में रास्ता खुलवाया गया था वादी किसी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी करवाने का अधिकारी नही है

रोही मौजा टोपरिया बारानी के प0न0 253/403 (79) किला न0 21/1 की 0.0260हैक्ट प0न0 253/404 (102) किला न0 1/1 की 0.0260 ,10/1 की 0.0250 ,11/1 की 0.0120कुल 0.0890हैक्ट भूमि में रास्ता दर्ज है उपरोक्त रास्ता सदामत से चालू है जो पिछले 50–60 सालो से चालू है उतरदातागण संख्या 4 ,5 ने अपनी कृषि भूमि को शेक्षणिक प्रयोजनार्थ संपरिर्वतन करवाकर विधालय का निर्माण करवाया गया है तथा विधालय आने जाने के लिये रास्ता का उपयोग उक्त रास्ता का ही किया जा रहा है एवं आस पास के काश्तकारों द्वारा अपनी भूमि में आने जाने हेतु अन्य कोई रास्ता नही है उक्त रास्ता बन्द किये जाने पर विधालय में आने जाने एव अन्य काश्तकारों को आवागमन बन्द हो जावेगा।

माननीय सिविल न्यायालय मे विचाराधीन प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा जो कि दिनांक 04.01.2019 को खारिज किया जा चुका है वादी द्वारा उपरोक्त रास्ता पर झुठी विनाय मुखास्मत हासिल करने हेतु अतिचार किया गया है रास्ता पर किये गये अतिचार को हटवाया जा चुका है केवल रास्ता की भूमि को हडप करने के लिये वाद पेश किया गया है जिसे खारिज फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की मौका रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में रास्ता चालू नही है ना ही पूर्व मे चालू रहा है राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वादी के साक्ष्य सबुतों के अनुसार वाद का निस्ताण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया जिनके अनुसार तनकीवार विवेचन निम्नप्रकार से है :–

तनकी न0 1 आया कि विवादित भूमि रोही मौजा टोपरिया बारानी के प0न0 253/403(79) किला न0 21/1की 0.026हैक्ट प0न0 253/404(102) किला न0 1/1 की 0.026 ,10/1 की 0.025 ,11/1 की 0.021 कुल 0.089कुल हैक्ट गै0मु0 रास्ता भूमि के वादी व प्रतिवादी संख्या 3 को बहिब का खातेदार काश्तकार धोषित करवाने का अधिकारी है।?

तनकी न.1 का साबित करने का भार वादी पर था वादी का कथन है कि वादी की भूमि में पूर्व से पश्चिम ... सडक गुजरती है एव प0न0 252/404 में उतर से दक्षिण रास्ता ... रास्ता सदामत से चालू है किन्तु प0न0 253/403 व 253/404 ... कोई रास्ता चालू नही रहा है ना ही वर्तमान मे चालू है राज्य सरकार के नियमानुसार सिचित क्षेत्र में एक मुरब्बा लाईन के अन्तराल में रास्ते गुजरते है प0न0 253/403 व 253/404 मे रिकार्ड संधारण के समय

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.05.13 19:25:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनु0)

सहवन से रास्ता दर्ज हो गया जो कभी भी चालू नही रहा है जिसे वादी के नाम बतौर खातेदार दर्ज किया जावे

प्रतिवादी संख्या 4 ,5 का कथन है कि वर्तमान में रास्ता चालू है जो काश्तकारों के उपयोग उपभोग में आ रहा है जिसे वादी निरस्त करवाने का अधिकारी नही है।

पत्रवाली में उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार रोही मौजा टोपरिया बारानी के प0न0 253/403(79) किला न0 21/1की 0.026हैक्ट प0न0 253/404(102) किला न0 1/1 की 0.026 ,10/1 की 0.025 ,11/1 की 0.021 कुल 0.0890हैक्ट भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड मै गै0मु0रास्ता के रूप में दर्ज है जिसे सिचाई विभाग के द्वारा रिकार्ड संधारण के समय मौका की परिस्थितयों के अनुसार एव उपयोगितो के आधार पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया था वादी का कथन है कि सिचाई विभाग के द्वारा एक मुरब्बा लाईन के अन्तराल पर रास्ता दर्ज किया जाता था किन्तु रास्ता लगातार मुरब्बा लाईन पर है जो सहवन से दर्ज हुआ है खारिज किया जावे वादी का कथन स्वीकार योग्य नही है क्योकि की सिचाई विभाग के द्वारा रिकार्ड संधारण के समय मौका की स्थिति के अनुसार एव रास्ता की उपयोगिता के मध्यनजर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया था तथा वादी ने भी उक्त रास्ते के बदले पूर्व में किसी प्रकार का प्रार्थना पत्र पेश नही किया गया था काफी वर्षो के बाद पेश किया गया है अर्थात वादी क्लीन हैण्ड ने न्यायालय में नही आया है।

तहसीलदार नोहर की पूर्व रिपोर्ट में रास्ता चालू नही था क्योकि वादी के द्वारा रास्ता बन्द कर दिया गया था रास्ता खुलवाने के सम्बध में प्रार्थना पत्र पेश करने पर नियमानुसार राजस्व रिकार्ड मे दर्ज रास्ता खूलवाया जाकर चालू करवाया गया था जो अब वर्तमान में चालू है वादी गै0मु0रास्ता की भूमि को बतौर खातेदार किसी प्रकार से दर्ज करवाने का अधिकारी नही है रास्ता की उपयोगिता पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार है।

इसप्रकार उक्त रास्ता सिचाई विभाग के द्वारा रिकार्ड संधारण के समय मौका की परिस्थितयो के मध्यनजर रास्ता की उपयोगिता के मध्यनजर रास्ता दर्ज किया गया था जो विधिवत सही तौर से दर्ज है वाद भूमि जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गै0मु0रास्ता के तौर पर दर्ज है को वादी बतौर खातेदार किसी भी प्रकार से दर्ज करवाने का अधिकारी नही है।

अतः तनकी न0 1 साक्ष्य सबुतों के आधार पर साबित नही होने के कारण वादी के विरूद्व मे तय की जाती है।

तनकी न0 2 आया कि उक्त प0न0 253/403(79) तथा प0न0न 253/404(102) में कभी भी रास्ता से आवागमन नही रहा था किला न0 21/1 मु0न0 79 तथा मु0न0 102 किला न0 1/1 ,10/1 ,11/1 में दर्ज भूमि रास्ता दर्ज है लेकिन यह रास्ता किसी के काम नही आता तथा कभी भी चालू नही रहा है इसलिये इसे मुमकिन में किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 3 के नाम उनके खाते में बतौर खातेदार दर्ज करवा पाने के अधिकारी है ।

तनकी न. 2 को साबित करने का भार वादी पर था पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात /तहसीलदार नोहर की मौका रिपोर्ट एवं नजरीय नक्शा के अनुसार प्रश्नगत रास्ता पूर्व मे वादी के द्वारा बन्द कर रखा था राजस्व रिकार्ड में दर्ज रास्ता को वादी को बन्द करने का कोई अधिकार नही था रास्ता बन्द होने पर काश्तकारो के द्वारा तहसीलदार नोहर के समक्ष राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत रास्ता को खुलवाने का प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर तहसीलदार नोहर के द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करते हुए रास्ता खुलवाया गया जो पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात से साबित है कथनों के आधार पर वादी अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है अतः तनकी न. 2 साक्ष्य सबुतों के आधार पर साबित नही होने के कारण वादी के विरूद्व में तय की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.05.13 19:25:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनु0)

तनकी न. 3 :– आया कि वादी प्रतिवादीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवा पाने का अधिकारी है मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाई रखी जावे

तनकी न. 3 को साबित करने का भार वादी पर था तनकी न0 1 2 में साबित हो चुका है कि सिचाई विभाग के द्वारा रिकार्ड संधारण के समय मौका की परिस्थितयों के मध्य नजर रास्ता की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज किया गया है जो वर्तमान में चालू भी है वादी चालू रास्ता की गै0मु0 भूमि के सम्बध में किसी प्रकार की घोषणा या अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है राजस्व रिकार्ड में दर्ज गै0मु0 भूमि राजकीय भूमि है जिसे पर किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित नही है। अतः तनकी न0 3 साक्ष्य सबुतों के आधार पर साबित नही होने के कारण वादी के विरूद्व तय की जाती है।

तनकी न. 4 :– आया कि प0न0 253/403(79) किला न0 21/1की 0.026हैक् प0न0 253/404(102) किला न0 1/1 की 0.026 ,10/1 की 0.025 ,11/1 की 0.021 में रास्ता चालू है जो पिछले 50–60 सालों से चालू है जिससे आवागमन हो रहा है रास्ता खारिज करवाने का वादी को काई अधिकार नही है।

तनकी न. 4 को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 4 ,5 पर था रोही मौजा टोपरिया बारानी के प0न0 253/403(79) किला न0 21/1की 0.026हैक् प0न0 253/404(102) किला न0 1/1 की 0.026 ,10/1 की 0.025 ,11/1 की 0.021 कुल 0.0890 हैक भूमि में वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गै0मु0रास्ता के रूप में दर्ज है जो सिचाई विभाग के द्वारा रिकार्ड संधारण के समय मौका की परिस्थियों एव रास्ता की उपयोगिता के मध्यनजर दर्ज किया गया था जो पूर्व में वादी के द्वारा बन्द किया गया था किन्तु तहसीलदार नोहर के द्वारा विधिवत कार्यवाही की जाकर रास्ता को खुलवाया जाकर चालू करवाया गया थ जो वर्तमान में चालू है जिससे काश्तकारो का आवागन है जो प्रस्तुत साक्ष्यों से साबित है वादी ने ऐसा कोई भी साक्ष्य पेश नही किया गया जिससे रास्ता की उपयोगिता वर्तमान में ना हो वादी ने सिविल न्यायालय में भी अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया गया था जो खारिज किया जा चुका है

अतः तनकी न0 4 रास्ता चालू होना साबित होने के कारण वादी के विरूद्व एव प्रतिवादीगण के पक्ष में तय की जाती है।

तनकी न. 5 :– यह कि प्रतिवादीगण ने अपनी भूमि को शैक्षणिक प्रयोजनार्थ सपंरिर्वतन करवा रखा है इसी रास्ता से आवागमन करते है रास्ता चालू रखने के अधिकारी है।?

तनकी न. 5 को साबित करने का भार प्रतिवादी पर था प्रतिवादी ने तनकी को साबित करने के लिये संपरिर्वतन आदेश की प्रति पेश की गई है जिससे यह साबित नही होता की प्रश्नगत रास्ता का उपयोग हो रहा सपंरिर्वतन नियमों के अनुसार संपरिर्वतन की जाने वाली भूमि तक पहुच का मार्ग/रास्ता होने पर ही संपरिर्वतन किया जाता है अर्थात प्रश्नगत रास्ता चालू होने की स्थिति में ही संपरिर्वतन आदेश जारी किया गया था अर्थात वर्तमान में रास्ता की उपयोगित है एव वर्तमान में काश्तकारो के द्वारा उपयोग में लिया जा रहा है जिसे बन्द किया जाना विधि सम्मत नही है तथा तहसीलदार नोहर के द्वारा भी पूर्व में रास्ता चालू करवाया जाना भी प्रमाणित है तनकी न0 5 प्रतिवादी संख्या 4 ,5 के द्वारा के पक्ष में साबित करने के कारण प्रतिवादी संख्या 4 ,5 के पक्ष में तय की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.05.13 19:25:18 IST
Reason: SelfAttested

तनकी न. 6 :– यह की सिविल न्यायालय में प्रकरण संख्या 47/2018 बृजलाल बनाम उपखण्ड नोहर खारिज हो चुका है मौके पर खूलवाया हुआ है जिसका वाद पर क्या असर है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनु0)

तनकी न. 6 को साबित करने का भार प्रतिवादी पर था प्रतिवादी संख्या 4 ,5 ने सिविल न्यायालय के द्वारा प्रकरण संख्या 47/2018 में पारित निर्णय की प्रति पेश की गई है जो वादी बृजलाल ने अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के लिये प्रस्तुत की गई थी माननीय न्यायालय में रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के कारण वादी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया गया था तथा तहसीलदार नोहर ने भी रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के कारण प्रतिवादी संख्या 4 ,5 के निवेदन पर चालू करवाया गया था जो वर्तमान में भी चालू है वादी ने ऐसा कोई साक्ष्य पेश नही किया जिससे वर्तमान मे रास्ता चालू नही हो एव रास्ता की उपयोगिता ना हो प्रस्तुत नही किया गया मात्र कथन है कथनो के आधार पर वादी किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है

अतः तनकी न 6 साक्ष्य सबुतों के आधार पर प्रतिवादी संख्या 4 ,5 के पक्ष, तय की जाती है।

उपरोक्त तनकीवार विवचेन से स्पष्ट हे कि रोही मौजा टोपरिया बारानी के प0न0 253/403(79) किला न0 21/1की 0.026हैक्ट प0न0 253/404(102) किला न0 1/1 की 0.026 ,10/1 की 0.025 ,11/1 की 0.021 कुल 0.0890हैक्ट रास्ता सिचाई विभाग के द्वारा रिकार्ड संधारण के समय मौका की परिस्थितियों के मध्यनजर रास्ता की उपयोगिता को ध्यान में रखा जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया था जिसे वादी ने काफी लम्बे समय तक मौन रह कर स्वीकार भी किया गया है वादी ने इतने लम्बे समय बाद रास्ता खारिज करने का वाद पेश किया गया है जो सोचनीय विषय है अर्थात वादी क्लीन हैण्ड से न्यायालय में नही आया है प्रश्नगत भूमि रास्ते के रूप में दर्ज है जो वर्तमान मे चालू भी है पूर्व में वादी के द्वारा रास्ता बन्द किया गया था जिसे तहसीलदार नोहर के द्वारा विधिवत कार्यवाही कर चालू करवाया गया था जो आदिनांक तक चालू है वादी गै0मु0 रास्ते की भूमि के सम्बध में किसी प्रकार की घोषणा करवा पाने का अधिकारी नही है ना ही कोई साक्ष्य पेश किये गये है मात्र कथनों के आधार पर वादी किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

अतः वादी का वाद साक्ष्य सबुतों के आधार पर साबित नही के कारण खारिज किया जाता है व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 12/05/2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.05.13 19:25:18 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

(आडॅर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. बृजलाल पुत्र रावताराम जाति जाट साकिन टोपरिया तहसील नोहर (हनुमानगढ)

वादी

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।
2 अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड सिचाई विभाग नोहर तहसील नोहर

असल प्रतिवादीगण

3 गोकुलराम पुत्र रावताराम जाति जाट साकिन टोपरिया तहसील नोहर।

तरतीबी प्रतिवादी

4 सुन्दरदेवी पत्नी रणजीत सिह जाति जाट साकिन वार्ड न0 8 अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर जरिये मुख्त्यारआम रमेश कुमार पुत्र रायसिह जाति जाट निवासी वार्ड न0 8 अनुपगढ जिला श्रीगंगानगर
5 कलावती पत्नी श्योराम जाति जाट निवासी भगवान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ जरिये मुख्त्यारआम रमेश कुमार पुत्र रायसिह जाति जाट निवासी वार्ड न0 8 अनुपगढ जिला श्रीगंगानगर

असल प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 140 सन 2019 निर्णय दिनांक– 12/05/2025

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एव अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 4 ता 5 तथां पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वाद साक्ष्य सबुतों के आधार पर साबित नही होने के कारण खारिज किया जाकर जाता है व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 12/05/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.05.13 19:25:18 IST
Reason: SelfAttested